①

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 59 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री जयसिंह बोदरा व अन्य,
ग्राम - चुडयु, पं० - पुरुनिया,
प्रखण्ड - खूँटपानी, प० सिंहभूम।

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी DSO, प० सिंहभूम।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर परिवादी श्री जय सिंह बोदरा एवं अन्य कुल–68, ग्राम–चूड़यू, पंचायत–पुरूनिय, प्रखण्ड–खूँटपानी, जिला–पश्चिमी सिंहभूम का परिवाद पत्र दिनांक–26.08.2022 को आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा निम्न शिकायतें की गई हैं:–<br>1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता तुरंतुग महिला समिति द्वारा कम राशन दिया जाता है।<br>2. माह मार्च 2022 में PH कार्डधारियों को प्रति यूनिट 4 कि0ग्रा0 एवं AAY कार्डधारियों को प्रति यूनिट 15 कि0ग्रा0 कम राशन दिया जाता है।<br>3. माह मार्च एवं जून में PMGKAY का राशन भी नहीं दिया गया है एवं इससे पहले माह के राशन भी कटौती कर दिया जाता रहा है।<br>उक्त शिकायत के आलोक में परिवादी द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम को दिनांक–07.04.2022 को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।<br>उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।<br>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.09.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।<br>दिनांक–22.09.2022 अपराह्न 12:00 बजे रखें।<br><br>Sd/- (शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची।<br><br>Sd/- (हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची। | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 22.09.2022 | अभिलेख उपस्थापित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे।<br><br>शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उनकी सभी शिकायतों का निदान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विलंब से राशन उपलब्ध कराने के कारण अधिनियम के तहत् उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी माना कि शिकायतकर्ता को राशन विलंब से उपलब्ध कराया गया। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि जितने लोगों को विलंब से राशन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें सवा गुणा राशन उपलब्ध कराएँ। अर्थात् उपलब्ध कराये गये राशन का 25% राशन सभी को उपलब्ध कराया जाए एवं 15 दिनों के अन्दर इस आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएँ। यदि 15 दिनों के अन्दर आदेश का अनुपालन नहीं कराया जाता है, तो शिकायतकर्ता पुनः आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का बाध्य होगा।<br><br>इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx28 | अग्रेतर कार्रवाई संचिका सं० रा०खा०आ० (शि०) पश्चिमी सिंहभूम/PDS -93/2024 द्वारा की गयी। |